न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0 — 754 / 2020 दायर दिनांक:— 21.08.2020

जीसीएमएस आई0डी0 — 2020 / 00195

बलराम पुत्र गिर्राज उम्र 32 साल जाति मीना निवासी गुमानपुरा तन कटकड तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

——————सायल

बनाम

1. जगदीश पुत्र गिर्राज आयु 37 साल
2. सीताराम पुत्र गिर्राज आयु47 साल
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हिण्डौनसिटी तामील जरिये प्रबंधक
4. लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली।

——————गैरसायलान—04

प्रार्थना पत्र बावत् अंस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री संतोष मुदगल वकील सायल

2. गैरसायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक 24-12-24

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है आराजी खसरा नं0 1066 रकवा 0.15 है0 बारानी—ए, 2517 रकवा 0.06 है0 चाही—1, 2518 रकवा 0.09 है0 चाही—1, 3949 रकवा 0.25 है0 चाही—1, 3950 रकवा 0.03 है0 चाही—1, 3951 रकवा 0.05 है0 गै. मु. चाह 3952 रकवा 0.30 है0 चाही—1, 3953 रकवा 0.34 है0 चाही—1, 3958 रकवा 0.14 है0 चाही—1, 3959 रकवा 0.12 है0 चाही—1 कुल रकवा 1.53 है0 ग्राम गुमानपुरा तन कटकड तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली में स्थित है।

आराजी मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र सायल व गैरसायल सं0 1 व 2 को विरासत में प्राप्त हुई है, सायल व गैरसायल सं0 1 व 2 के पिता सन् 2012 में स्वर्गवास हो गया था और पिता के स्वर्गवास के बाद सायल व गैरसायल सं0 1 व 2 ने उक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा कर लिया था और तहसील के अनुसार सायल व गैरसायल सं0 1 व 2 अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज व दखिल होकर बिना किसी रोक टोक क फसल दर फसल काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

चले आ रहे हैं। सायल व गैरसायल नं0 1 व 2 की उक्त आराजी से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है।

सायल की सन् 2013 में भारतीय रेल्वे में लोको पायट के पद पर नियुक्ति हो गई और तब से ही सायल हनुमानगढ राजस्थान में रेल्वे विभाग में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है तथा समय समय पर अपनी फसल की देखभाल करता रहता है। आराजी मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में सायल व गैरसायल सं0 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3-1/3 हिस्सा है।

गैरसायल सं0 1 व 2 लट्ठ वाले व पैसे वाले व्यक्ति हैं जिनके मन में बदयांति वाके हो गई है और वह एकराय होकर सायल को सायल के हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं है। सायल अपने हिस्से की आराजी की देखभाल करने दिनांक 14.06.2020 को अपने गॉव कटकड आया था और दिनांक 15.06.2020 को अपने हिस्से की आराजी को शूल बबूल करने गया था तो गैरसायल संख्या 1 व उसकी पत्नि मुकेशी ने सायल के साथ झगडा फसाद किया उसके प्श्चात सायल अपनी ड्यूटी पर वापस हनुमानगढ चला गया व मानसूनी वारिश होने के पश्चात दिनांक 08.07.2020 को अपने हिस्से की आराजी में फसल बुबवाने आया और अपने हिस्से की आराजी में बाजरा की फसल काश्त करने गया तो मौके पर गैरसायल संख्या 1 व 2 व गैरसायल संख्या 1 की पत्नि मुकेशी लाठी लेकर पहुंच गयी और खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि हम तुझे इस जमीन में काश्त नहीं करने देगे यदि आज के बाद तूने इस जमीन पर पैर रखा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे।

सायल ने हाथ जोडकर निवेदन किया कि तुम दोनों मेरे बडे भाई हो मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ तुम मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। इस पर गैरसायल सं0 1 व 2 ने कहा कि अभी इस जमीन का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। तत्पश्चात सायल ने हाथ जोडकर निवेदन किया कि आप तहसील में चलकर जमीन का विधिवत बंटवारा करवा लो, किन्तु गैरसायल सं0 1 व 2 ने विधिवत बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा सायल के हिस्से की आराजी से सायल को जबरन बेदखल करने व आराजी का खड्डे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त बनाने की स्पष्ट रूप से धमकी दी है। सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन बखूबी साबित है। अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में साबित है। गैरसायलान अपनी बेजा हरकतों से तब वाज नहीं आवेंगे जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

तक कि उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाया जावेगा। पाबंद न करने की सूरत मे सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य से संभव नहीं है जबकि गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा तार्फेसला दावा इस अम्र से पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में से सायल के 1/3 हिस्से के उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त में सायल को मजाहमत मदाखलत पैदा ना करें सायल को बेदखल ना करें ना ही जबरन कब्जा करें लठैत व्यक्तियों को रहन बय ना करें कृषि भूमि को वेस्ट डेमेज एण्ड ऐलीनेट ना करें। कृषि को अकृषि कार्य में परिवर्तित ना करें तथा ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे हकूक सायल पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 4 के विरुद्ध आदेशिका दिनांक 17.10.2024 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1157 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1157 [illegible]म कटकड तहसील हिण्डौन खातेदारी सायलान व गैरसायल के [illegible] पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं ऐसी स्थिति में विवादित खसरा नं0 [illegible]066 रकवा 0.15 है0 बारानी–ए, 2517 रकवा 0.06 है0 चाही–1, 2518 रकवा 0.09 है0 चाही–1, 3949 रकवा 0.25 है0 चाही–1, 3950 रकवा 0.03 है0 चाही–1, 3951 रकवा 0.05 है0 गै. मु. चाह 3952 रकवा 0.30 है0 चाही–1, 3953 रकवा 0.34 है0 चाही–1, 3958 रकवा 0.14 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

चाही–1, 3959 रकबा 0.12 है0 चाही–1 कुल रकबा 1.53 है0 ग्राम गुमानपुरा तन कटकड तहसील हिण्डौनसिटी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने पर उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान को दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान बावत अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 21.08.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1066, 2517, 2518, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3958, 3959 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की सहखातेदारी किसी विशिष्ट भूभाग का अंतरण नहीं करे, कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक २५-१२-२५ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/12/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested